


21/10/19

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष
उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। अगुवाई विधायक से
पाबंद करवाया जाना उचित नहीं होने
से प्रार्थना-वक श्वाजित किया जाता है। पत्रावली
कीमत शुमार होकर नम्बर से कम है।


S.D.O.

